प्रेस नोट

दिनांक 13-11-2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2026 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखभाल, भ्रमण, वाहन चेकिंग एवं अपराधों की रोकथाम के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर यादव मेडिकल स्टोर के पास मोड़ से सेझिया गांव की तरफ जाने वाली पक्की सड़क से एक अभियुक्त प्रशान्त सिंह पुत्र स्व0 मनोज सिंह निवासी ग्राम सेझिया, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रशान्त सिंह पुत्र स्व0 मनोज सिंह, निवासी ग्राम सेझिया, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 अदद देशी कट्टा 315 बोर।

01- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 341/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह, थाना तरबगंज।
2. का0 प्रमोद वर्मा।
3. का0 विनय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13-11-2026

भैंस चराने के विवाद में तमंचा लेकर पहुंचे व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ा, अवैध तमंचा बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2026 को थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सल्दी बल्दी पुरवा, मौजा रामापुर में भैंस चराने को लेकर दो बच्चों राज एवं सनी के मध्य विवाद हो गया। विवाद की जानकारी होने पर सनी के पिता पुजारी प्रसाद दूबे मौके पर पहुंचे तथा राज को खेत में पटक दिया, जिससे उसके दाहिने पैर में मोच आ गई। घटना की जानकारी होने पर राज के पिता राधिका प्रसाद दूबे अपने भाई एवं पुत्र के साथ पुजारी प्रसाद दूबे के घर पहुंचे तथा पुत्र के उपचार के संबंध में बात की। इस दौरान पुजारी प्रसाद दूबे द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा अपने घर से एक अवैध तमंचा निकालकर ले आया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा किसी गंभीर घटना को घटित होने से रोकने के लिए पुजारी प्रसाद दूबे को तमंचे सहित पकड़ लिया गया। छीना-झपटी के दौरान उसके सिर एवं हाथ में चोटें आईं। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा तमंचा छीनकर अभियुक्त को पकड़कर थाना कौड़िया लाया गया। थाना पुलिस द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं बरामद अवैध तमंचे के आधार पर मु0अ0सं0 281/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- पुजारी प्रसाद दूबे पुत्र स्वर्गीय आदित्य प्रसाद दूबे निवासी ग्राम सल्दी बल्दी पुरवा, मौजा रामापुर, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 अदद अवैध तमंचा

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 281/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राहुल प्रताप सिंह, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 13-11-2026

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

दिनांक 12.11.2026 को थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 274/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व धारा 5(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त हरीश पुत्र इन्दर प्रसाद निवासी रानीपुरवा, जानकीनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को पहाड़ापुर चौराहे के पास प्राथमिक विद्यालय पहाड़ापुर के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा 10.11.2026 को थाना कटरा बाजार पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पोती को हरीश पुत्र इन्दर प्रसाद निवासी रानीपुरवा, जानकीनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- हरीश पुत्र इन्दर प्रसाद निवासी रानीपुरवा, जानकीनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 274/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व धारा 5(2) पॉक्सो एक्ट, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजीव सिंह।
2. का0 रोहित गौतम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 13-11-2026

मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक-

आज दिनांक 13.11.2026 को जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों की मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीमों द्वारा मिशन शक्ति अभियान 6.0 के अंतर्गत अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड, ग्रामों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान थाना तरबगंज पुलिस द्वारा द्रोणा पब्लिक स्कूल नारायणपुर, थाना परसपुर पुलिस द्वारा बीआरएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल, थाना छपिया पुलिस द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज तलागंज ग्रांट एवं ग्राम तलागंज ग्रांट, थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, कस्बा बस स्टैंड एवं हॉटस्पॉट स्थानों, थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा ग्राम नगवा, थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम सालपुर, थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा कटी तिराहा, बस स्टैंड एवं चिरैया चौराहा, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों तथा थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा आरएसएम इंटर कॉलेज कुंदरूखा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण तथा शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 6.0 के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही प्रत्येक थाने पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों एवं वहां उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं से उनके आने-जाने के रास्तों, सार्वजनिक स्थानों एवं आसपास के हॉटस्पॉट स्थलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या होने पर बिना संकोच पुलिस को सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए अनजान कॉल, संदेश एवं संदिग्ध लिंक से सावधान रहने, अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी से साझा न करने तथा सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। जनजागरूकता कार्यक्रमों के दौरान शासन द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए तथा बताया गया कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति अथवा समस्या में इन नंबरों पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर-

- **112** – पुलिस आपातकालीन सेवा
- **1090** – वीमेन पावर लाइन
- **181** – महिला हेल्पलाइन
- **1098** – चाइल्ड हेल्पलाइन
- **1930** – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- **1076** – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- **108** – एम्बुलेंस सेवा
- **102** – स्वास्थ्य सेवा
- **101** – अग्निशमन सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, आत्मनिर्भर बनने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 13-11-2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब का निर्माण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 10 लीटर कच्ची शराब, 50 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.2026 को क्षेत्र भ्रमण एवं अवैध शराब की बिक्री व निर्माण की रोकथाम के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम पंचपूरवा के बाहर बाग की झाड़ियों में छापेमारी की गई। मौके पर अभियुक्त रूसे पुत्र नानमून, निवासी पंचपूरवा, मौजा पूरे शुकाली, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा द्वारा भट्ठी जलाकर लहन से अवैध कच्ची शराब का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब 50 लीटर लहन, एक अदद एल्यूमीनियम का तसला, दो अदद हरे रंग के प्लास्टिक पाइप एवं एक अदद प्लास्टिक की बाल्टी बरामद की गई। मौके पर जल रही अवैध शराब बनाने की भट्ठी को नष्ट किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0 0395/2026 धारा 60(1) व 60(2) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रूसे पुत्र नानमून निवासी पंचपूरवा, मौजा पूरे शुकाली, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण-

1. 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।
2. 50 लीटर लहन।
3. एक अदद एल्यूमीनियम का तसला।
4. दो अदद हरे रंग के प्लास्टिक पाइप।
5. एक अदद प्लास्टिक की बाल्टी।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 0395/2026 धारा 60(1) व 60(2) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रवीण पुंज।
2. का0 अभिषेक सिंह।
3. का0 ऋषभ अग्रहरि।

मीडिया सेल,गोण्डा।